न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–149/2013
CIS No.-TS 294/2018

कपीर अहमद उर्फ हेमन..वादी
बनाम
हरजीत कौर एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
16.04.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से अंदर धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिनांक 05.03.2025 दाखिल किया गया है। आवेदन पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.03.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के कुछ कागजातों के प्रदर्श हेतु आ रहा है। जैसा कि आदेश फलक से विदित होता है। वाद से संबंधित प्रदर्श कागज के आलोकन के पश्चात् यह पता चला है कि कुछ कागजात प्रदर्श होना छुट गया है, जो वादी को उसके पिता के मरणोंपरांत पता चला है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के आदेश फलक म्युटेन रिभिजन केस नं0–198/2010–11 से संबंधित ऑर्डर शीट की सच्ची प्रतिलिपि गुरजीत कौर द्वारा न्यायालय अपर समाहर्ता, बेतिया जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–198/2010–11 में दिये गए आवेदन दिनांक 21.12.2010 की सच्ची प्रतिलिपी। वादी ने अपने रिलिफ सं0–C में अपर समाहर्ता, बेतिया का आदेश दिनांक 28.11.2012 के आदेश को चुनौती दिया है। इस कारण उपरोक्त कागजात को प्रदर्श होना न्यायहीत में आवश्यक है। उपरोक्त सभी कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी द्वारा दाखिल मूल कागजातों	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–149/2013

CIS No.-TS 294/2018

कपीर अहमद उर्फ हेमन...वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 16.04.2025	को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.02.2025 को स्वीकृत किया जाता है। पीठ लिपिक कमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 21.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	
पश्चात् 16.04.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से अंदर धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत आवेदन	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–149/2013

CIS No.-TS 294/2018

कपीर अहमद उर्फ हेमन..वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **16.04.2025**	दिनांक 05.03.2025 दाखिल किया गया है। आवेदन पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 05.03.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिउत्तर हेतु आ रहा है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिनांक 28.11.2012 जिला उपसमाहर्त्ता का आदेश की सच्ची प्रतिलिपी दस्तावेज का प्रदर्श होना छुट गया है, जो न्यायहित में प्रदर्श होना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए। वादी के अधिवक्ता की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिउत्तर हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–149/2013

CIS No.-TS 294/2018

कपीर अहमद उर्फ हेमन...वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **16.04.2025**	संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.02.2025 को स्वीकृत किया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 21.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	